

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर- 492 006

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फ़ैक्स : (0771) 4066425 ई-मेल : visitcg@gmail.com

क्र. 333 / यो./प.मं./445/2020

रायपुर, दिनांक : 28-05-2020

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी (व.स.अ. 1980)
अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, से.-19
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:- बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अन्तर्गत संरक्षित वन के कक्ष कंमाक 142 में पर्यटन गतिविधि के लिए 3.910 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग.टूरिज्म बोर्ड को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाईन पंजीयन एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में ।

---0---

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अन्तर्गत संरक्षित वन के कक्ष कं 142 में पर्यटन गतिविधि के लिए 3.910 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग.टूरिज्म बोर्ड को उपयोग पर देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव के ऑनलाईन पंजीयन एवं अन्य कार्यवाही हेतु छ.ग.टूरिज्म बोर्ड की ओर से श्री विजय परमार (प्रमुख, योजना शाखा को अधिकृत किया गया था ।

उपरोक्त प्रकरण एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के वन समस्त भूमि प्रत्यावर्तन/अधिग्रहण एवं अन्य वनभूमि प्रकरणों की कार्यवाही के लिये श्री विजय परमार के स्थान पर श्री दिलीप आचार्य (प्रबंधक, योजना) (मोबाइल नं. 9111009014) को अधिकृत किया गया है।

इपफत आरा (भा.प्र.से.)

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

पृ. क.

/ यो./प.मं./445/2020

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ ।
2. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ ।
3. श्री दिलीप आचार्य, (प्रबंधक, योजना), छ.ग.टूरिज्म बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड